न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 01 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सुमनदेवी पत्नी सोहनलाल जाति महेश्वरी निवासी हनुमान मन्दिर के पास तहसील बाड़मेर		1 इन्द्रा कंवर पत्नी किशनसिंह 2 जगदीशसिंह पुत्र किशनसिंह 3 जयसिंह पुत्र किशनसिंह 4 सवाईसिंह पुत्र किशनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी तहसील व जिला बाड़मेर 5 श्रीमान् तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री भूरचंद जांगिड़, वकील प्रार्थीगण पक्ष।
2. श्री कुन्दसिंह चौहान वकील विप्रार्थी संख्या 01 से 04

आदेश

दिनांक 17/02/25

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी का खातेदारी के खेत मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का बाड़मेर आगौर तहसील बाड़मेर जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2827 / 1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण के पूर्वज श्री किशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह से उनकी खातेदारी खेत खसरा संख्या 2132 / 1136 रकबा 12 बीघा 18 बीस्वा में से 02 बीघा भूमि को बाजाब्ता रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 17.11.2005 को खरीद की गई थी जिस बेचान में उपर्युक्त 02 बीघा भूमि के पड़ौस उत्तर में बाड़मेर से भुरटिया जाने वाली सड़क, दक्षिण में खेत खसरा संख्या 2138 / 1136 की 4 बीघा जमीन जो वर्तमान में श्रीमती नीति रामावत की खातेदारी की है, पूर्व में खसरा नम्बर 1135 / 3 का सेढा व पश्चिम में इसी खेत खसरा नंबर 2138 / 1136 की जमीन है। प्रार्थीनी द्वारा भूमि खरीदने के पश्चात् भूमि को राजस्व रेकर्ड में अलग खसरा नंबर 2827 / 1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर दर्ज करते हुए उसकी तरमीम मौके पर परिशिष्ट 'ब' के अनुसार कर दी गई जिस अनुसार प्रार्थीनी मौके पर काबिज है एवं काश्त करती आ रही है। प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य तरमीम दुरूस्ती की जाती हैं तो जमीन के हिस्से को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। लिहाजा आवेदन स्वीकार किया परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच खेतों की तरमीम की गई है [illegible] मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं है। मौके के अनुसार नहीं कर गलत तरमीम [illegible] तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व नक्शा में पूर्णतया अन्तर व भिन्नता है। प्रार्थीनी मौके पर परिशिष्ट [illegible] अनुसार काबिज है जबकि वर्तमान में तरमीम उनके कब्जे व काश्त के विपरीत परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कर दी गई है। उक्त तरमीम को परिशिष्ट 'ब' के अनुसार की जाती हो तो विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2025 / 446 दिनांक 17.02.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थीनी ने मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2138/1135 ...
थी। उक्त भूमि का अंकन राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 2827/1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर (02.00 बीघा) हो चुका है तथा विप्रार्थीगण का शेष खसरा वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार 2858/1135 रकबा 0.8013 हैक्टेयर है उक्त दोनों खसरान की वर्तमान रेकर्ड में तरमीम प्रपत्र 'अ' अनुसार हैं जबकि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नक्शा प्रपत्र 'ब' अनुसार है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रपत्र 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित हैं प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से किसी भी काश्तकार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है तथा सभी पक्षकारान इससे सहमत है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाड़मेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का बाड़मेर आगौर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2827/1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर(02 बीघा) व खसरा संख्या 2858/1135 रकबा 0.8013 हैक्टेयर की भूमि की लट्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का बाड़मेर आगौर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2827/1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर(02 बीघा) व खसरा संख्या 2858/1135 रकबा 0.8013 हैक्टेयर की भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है।

लिहाजा मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का बाड़मेर आगौर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2827/1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर(02 बीघा) व खसरा संख्या 2858/1135 रकबा 0.8013 हैक्टेयर की भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उभय पक्षों की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का बाड़मेर आगौर तहसील बाडमेर जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2827/1135 रकबा 0.3237 हैक्टेयर(02 बीघा) व खसरा संख्या 2858/1135 रकबा 0.8013 हैक्टेयर की भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रपत्र 'अ' के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17/02/25 को सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी